सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2025 / 705 दर्ज तिथिः—25.09.2025

1. अचलाराम पुत्र गोरधनराम
2. धीराराम पुत्र गोरधनराम
   जाति जाट निवासी बटेरो की बेरी तहसील नोखड़ा

.....वादीगण

बनाम

1. दोलाराम पुत्र गोरधनराम
2. पुरों पत्नी मगाराम
   जाति जाट निवासी बटेरो की बेरी तहसील नोखड़ा

.....असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुड़ामालानी
4. तहसीलदार नोखड़ा

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री ठाकराराम चौधरी
प्रतिवादी संख्या 02:—चिमनसिंह चौधरी
अन्य प्रतिवादीः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—05.03.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेष हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1036 / 422 / 2.1367 है0, 1037 / 422 / 4.3139 है0 मौजा बटेरो की बेरी पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:16 IST
Reason: SelfAttested

रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का हिस्सा खुला हुआ हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामिल बावजूद प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस का निवेदन किया।

3. प्रकरण में अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अभिभाषक वादी द्वारा निवेदन किया गया कि वादी का खाता भूमि की गुणवता, अवास व्यवस्था, कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए बाई मीटस एण्ड बाउण्डस मुताबिक जमाबंदी पृथक किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा निवेदन किया गया कि वादी के साथ—साथ प्रतिवादी का खाता बाई मीटस बाई बाउण्डस पृथक किया जावे।

4. तत्पश्चात प्रकरण में दिनांक 20.11.2025 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/कोर्ट/2025/18 दिनांक 07.01.2026 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार नोखड़ा के पत्रांक/कोर्ट/2026/18 दिनांक 07.01.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate*	प्रकरण में दिनांक 31.12.2025 को तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:16 IST
Reason: SelfAttested

the portion at the expense of the parties.	
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के रजिस्टर्ड डाक से नोटिस क्रमांक 1571—1574 दिनांक 22.12. 2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 31.12.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के रजिस्टर्ड डाक से नोटिस क्रमांक 1571—1574 दिनांक 22.12. 2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 31.12.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार नोखड़ा द्वारा नोटिस जारी कर नियत तिथि को मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने नहीं आए। कार्यालय में बैठकर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जिससे खसरा संख्या 1037 / 422 में वादी को एल आकार में आराजी विभाजित कर धोरे वाली जमीन पूरी वादी के हिस्से में प्रस्तावित कर दी गई। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाए जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादी के अभिकथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि मौका विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार बनाया गया है जिसे स्वीकार कर डिक्री किया जावे।

6. प्रकरण में बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072—2075 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1036 / 422 / 2.1367 है0, 1037 / 422 / 4.3139 है0 मौजा बटेरो की बेरी पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा के संयुक्त खातेदार है। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा मौका निरीक्षण हेतु पूर्व में ही प्रेषित नोटिस कर पक्षकारान को सूचित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रकार वादी की उक्त आपत्ति खारिज की जाती है। अनुसार उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

7. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:16 IST
Reason: SelfAttested

विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

8. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:16 IST
Reason: SelfAttested

सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादी व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

10. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1036/422/2.1367 है0, 1037/422/4.3139 है0 मौजा बटेरो की बेरी पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पूरोदेवी पत्नी मगाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	पूर्ण	बटेरो की बेरी	1037 / 422	1.4380	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.4380 है0					
अचलाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन RMGB गुड़ामालानी	पूर्ण	बटेरो की बेरी	1037 / 422	2.8759	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.8759 है0					
दौलाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	पूर्ण	बटेरो की बेरी	1036 / 422	0.7122	बा0सो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:16 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 01 रकबा 0.7122 है0					
अचलाराम पुत्र गोरधनराम रहन RMGB गुड़ामालानी धीराराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	1/2 1/2	बटेरो की बेरी	1036/422	1.4245	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.4245 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2025 / 705 दर्ज तिथिः—25.09.2025

1. अचलाराम पुत्र गोरधनराम
2. धीराराम पुत्र गोरधनराम
   जाति जाट निवासी बटेरो की बेरी तहसील नोखड़ा

.....वादीगण

बनाम

1. दोलाराम पुत्र गोरधनराम
2. पुरों पत्नी मगाराम
   जाति जाट निवासी बटेरो की बेरी तहसील नोखड़ा

.....असल प्रतिवादीगण

3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुड़ामालानी
4. तहसीलदार नोखड़ा

.....तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री ठाकराराम चौधरी
प्रतिवादी संख्या 02:—चिमनसिंह चौधरी
अन्य प्रतिवादीः— एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1036/422/2.1367 है0, 1037/422/4.3139 है0 मौजा बटेरो की बेरी पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:16 IST
Reason: SelfAttested

किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पूरोदेव पत्नी मगाराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	पूर्ण	बटेरो की बेरी	1037/422	1.4380	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.4380 है0					
अचलाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन RMGB गुड़ामालानी	पूर्ण	बटेरो की बेरी	1037/422	2.8759	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.8759 है0					
दौलाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	पूर्ण	बटेरो की बेरी	1036/422	0.7122	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.7122 है0					
अचलाराम पुत्र गोरधनराम रहन RMGB गुड़ामालानी धीराराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट सा0 देह खातेदार	1/2 1/2	बटेरो की बेरी	1036/422	1.4245	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.4245 है0					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.03.21 14:45:16 IST
Reason: SelfAttested